जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07-06-2021**

आज दिनांक 07.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 101/2021 धारा 376 /506 भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्त नाम पता राजकुमार पुत्र रामदयाल निवासी ओझापट्टी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी उपरान्त वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 07.06.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद यादव, हे0का0 अनिल यादव, हे0का0 पप्पू सिंह।

धारादार हथियार से मारने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 95 /2021 धारा 324 / 326 भादवि में वांछित अभियुक्त बालगोबिन्द चौधरी पुत्र सीताराम चौधरी निवासी अकोलिहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.06.2021 को वादी अहमद हुसैन पुत्र मो0 यादन के भाई एखलाक अहमद को तरबूज खरीददारी को लेकर हुए विवाद में तरबूज काटने वाले चाकू से बाल पकड़कर पीछे से गले पर वार कर दिया गया था जिससे वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 06.06.2021 को थाना बेलहरकला पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था अपराध पंजीकरण के बाद बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव मय हमराह

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त नाम पता विकास कुमार पुत्र हरिलाल निवासी बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 97 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, हे0का0 जयप्रकाश मिश्र, का0 सुग्गन सिंह।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता मोनू कुमार पुत्र महंगु प्रसाद निवासी बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 377 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संदीप राय, को0 सोनू यादव, का0 सतवन्त शाही।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता जितेन्द्र यादव पुत्र रामनयन निवासी भुवनड़ाड थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 378 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- का0 अमरजीत यादव, का0 रजनीश यादव।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 1250 रुपये नकद व ताश के 52 पत्तों के साथ 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण नाम पता 1 – सोनू चौरसिया पुत्र शिवसागर चौरसिया निवासी नगवा 2- जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामजी निवासी अजमापुर 3- नितेश कुमार पुत्र रामजी गौड़ निवासी बड़गो 4-राजेश पुत्र रामप्रसाद निवासी बड़गो थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 450 रुपये मालफड़, 800 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 379/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 गौतम यादव, का0 विजय कुमार गौतम।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 29 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत रक्शा से इवेन्ट संख्या 11902 से कालर ने किसी बात को लेकर मारपीट / विवाद होने व मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचाया गया तथा थाना दुधारा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवा कर उसकी जान बचाई गयी जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामचन्द्र सिंह, आ0 विनोद भारती, हो0गा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 74 वाहनो से 57500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 74 वाहनो से 57500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।